(98)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 799–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–2–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन प्रकरण कमांक 218/2001–02/निगरानी.

रणजीत सिंह पिता देवी सिंह राजपूत
निवासी ग्राम कटलार तहसील मंदसौर
द्वारा मु.आ. मीना कुमारी पिता तेजसिंह राजपूत
निवासी ग्राम कटलार तहसील व जिला मंदसौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– देवी सिंह पिता भोगसिंह राजपूत
निवासी ग्राम कटलार
तहसील व जिला मंदसौर
2– शिवकुंवर बाई पिता देवी सिंह राजपूत
निवासी ग्राम सीताखेड़ी तहसील सीतामऊ .....अनावेदकगण

श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/10/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा ग्राम कटलार तहसील मंदसौर स्थित सर्वे कमांक 415 रकबा 0.99, एवं सर्वे कमांक 416 रकबा 0.84 कुल 1.83 हेक्टेयर भूमि अनावदेक कमांक 2 से पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की जाकर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । तहसील

न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करते हुए संशोधन हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 14–12–2001 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किये जाने पर आवेदक द्वारा अतिरिक्त कलेक्टर मंदसौर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दिनांक 10–6–2002 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अतिरिक्त कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–2–2003 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का आधिपत्य है, इसलिए उसके द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत संशोधन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि विरोधी आधिपत्य के आधार आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी हो गया था, इसलिए भी तहसील न्यायालय को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत संशोधन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार करना चाहिए था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में जो आधार उठाये गये हैं, वह आधार इस प्रकरण में विद्यमान नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के पक्षकार एवं लिखित तर्क में उल्लिखित पक्षकारों के नाम भिन्न–भिन्न हैं, इसलिए लिखित तर्क पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा संशोधन हेतु व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अन्तरिम आदेश

पारित कर निरस्त किया गया है, जिसकी पुष्टि अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा की गई है । तहसील न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह तीसरी निगरानी प्रस्तुत की गई है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक, आवेदन पत्र में विपरीत आधिपत्य के आधार पर भूमिस्वामी होने सम्बन्धी संशोधन करना चाहता है, जबकि उसके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विपरीत आधिपत्य के आधार पर वह प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी हो गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–2–2003 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर